न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–संजय शर्मा

G.C.M.S. No. 2025/208

अपील संख्या 129 / 2025 — तारीख रजू 25.11.2025

1. सलीम 2. वहीद 3. अख्तर 4. कमर 5. करामत 6. रहमत 7. फारूख 8. फिरोज खॉ पुत्रान छोटे खॉ समस्त जातियान मुसलमान निवासीयान खिरनी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

......अपीलार्थीगण

बनाम

1. नाथू लाल 2. लड्डूलाल 3. सुरेश चन्द पुत्रान रामकुंवार गरोडा समस्त जातियान गरोड्या निवासीयान खिरनी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
4. तहसीलदार लैण्ड होल्डर मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

.....रेस्पोडेन्टान

वकील अपीलान्ट्स —श्री चिरंजी लाल बैरवा

वकील रेस्पोडेन्टस 1 लगा. 3 —श्री शिवचरण सोनी

निर्णय — **दिनांकः– 30.03.2026**

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत तहसीलदार (खण्डार) [मलारना डूंगर आदेश दिनांक 15/4/26 के अनुसार संशोधन] द्वारा मिसल संख्या 01 / 2025 मे पारित आदेश दिनांक 03.11.2025 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्व धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत खसरा नम्बर 2584, 2585, 2586, 2591, 2594 कुल किता 5 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम खिरनी से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 सं0 1 लगा0 3 की ओर से श्री शिवचरण सोनी एडवोकेट तथा रेस्पो0 सं0 4 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के पिता छोटे खॉ पुत्र याकूब खॉ ने जरिये इकरारनामा आराजी ख0नं0 2584, 2585, [illegible] 2594 कुल किता 5 कुल रकबा 0.72 है0 को दिनांक 15.06.1995 को रेस्पोडेन्ट [illegible] किया था तथा मुताबिक इकरारनामा की शर्तों के अनुसार मौके पर ले जाकर [illegible] या था तभी से अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:27 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उक्त आराजीयात पर बतौर काश्तकार काबिज है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर भी गौर नहीं कर विधि से परे जाकर उक्त निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजी पर अपीलान्टगण ने कोई जबरदस्ती कब्जा नहीं किया है जिन्हें बेदखल किया जावे बल्कि नियमानुसार जरिये इकरारनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त कर काश्त करते चले आ रहे है जिन्हें अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टों को अतिक्रमी मानकर उक्त निर्णय पारित किया है जो काबिले खारिज किये जाने योग्य है। उक्त आराजीयात को रेस्पोडेन्टान ने अपनी स्वेच्छा से मिन अपीलांट के पिता को जरिये इकरारनामा रूबरू गवाहान बेचान किया गया है और उक्त इकरारनामा जब तहरीर तकमील के वक्त गवाहान से भी अधिनस्थ न्यायालय ने ना कोई बयान लिये और ना ही उनसे पूछताछ की गई अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर हल्का पटवारी की फर्द मौका रिपोर्ट में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट की उक्त आराजीयात पर जबरन धमका कर बिना प्रतिफल दिये ही कब्जा कर अतिक्रमण किया है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर गोर नहीं कर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त पारित निर्णय काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के पिता ने उक्त आराजीयात को रेस्पोडेन्ट की इच्छा के अनुसार मुताबिक इकरारनामा प्रतिफल प्राप्त कर लिया गया है जिसमें सभी गवाहान के बयान लेखबद्ध किये जाने चाहिए थे। अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट ने जब उक्त इकरारनामा तस्दीक किया जब यह जानकारी नहीं थी और ना ही रेस्पोडेन्ट ने बताया कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है बल्कि अपीलांट को रेस्पोडेन्ट ने यह विश्वास दिलाया था कि वह सामान्य श्रेणी अर्थात् जोशी परिवार से है जो अक्सर सामान्य श्रेणी का माना जाता है इस आधार पर अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट से उक्त इकरारनामा कर उक्त आराजीयात खरीदी है। बाद में रेस्पोडेन्ट के बदनियती आ जाने के कारण उन्होंने फर्जी दस्तावेज अनुसूचित जाति का तैयार कर धारा 42 (ख) का लाभ लेकर उक्त निर्णय पारित करवा लिया जो विधि सम्मत नहीं हैं क्योंकि उक्त इकरारनामे में गोरोडा शब्द कहीं पर भी नहीं है बल्कि जाति के आगे "जोशी" लिखा हुआ है जो सामान्य वर्ग का द्योतक है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त इकरारनामा का पूर्ण अवलोकन नहीं कर मात्र अनुसूचित जाति का कूटरचित दस्तावेज का मानकर धारा 42 (ख) आर0टी0 का उल्लंघन मानकर उक्त निर्णय पारित किया है जो काबिले खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट ने उक्त इकरारनामे के आधार पर एक वाद पत्र उप जिला कलेक्टर मलारना डूंगर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जिसका मु0नं0 44/25 तथा टी0आई0 मु0नं0 27/25 बउनवानी सलीम बनाम नाथूलाल वगै0 है जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को उक्त आराजीयात से बेदखल नहीं किया जा सकता क्योंकि एक ही पक्ष को ध्यान में रखकर निर्णय पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह काबिले खारिज किये जाने योग्य है। भारतीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:27 IST
Reason: SelfAttested

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

रूढी के अनुसार आज भी ग्रामीण अंचल में जोशी को ब्राहमण ही माना जाता है और इसी आधार पर अपीलान्ट के पिता छोटे खॉ ने रेस्पोडेन्ट से उक्त इकरारनामा बेचान से यह आराजीयात जो मद नं0 2 में दर्शायी है खरीदी है परन्तु अपीलान्ट को इसकी जानकारी तब हुई जब अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट से उक्त आराजीयात या मुताबिक इकरारनामा के अनुसार विक्रय पत्र तस्दीक कराने को कहा तब रेस्पोडेन्ट नाराज हो गये और विक्रय पत्र तस्दीक कराने से मना कर दिया और अधिनस्थ न्यायालय में जरिये पोर्टल शिकायत दर्ज कराकर व राजस्व कर्मचारियों से साज कर उक्त कपोल कल्पित निर्णय अपने पक्ष में पारित करवा लिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि उक्त आराजीयात से अतिक्रमी अपीलान्ट को बेदखल कर कब्जा रेस्पोडेन्ट को सौंपा जाये जबकि न्यायालय ने जो निर्णय करते समय पत्रावली का पूर्ण अवलोकन न कर गहरी भूल की तथा अकारण ही अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बेदखल की कार्यवाही अमल में लायी गयी है वह विधि सम्मत नहीं है इसलिये उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2025 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील रेस्पोडेन्टान सं0 1 लगायत 3 द्वारा वकील अपीलान्ट्स द्वारा बहस में दिये गये तर्को का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया है कि विवादित आराजी को अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट से खरीदने का दिनांक 15.06.1995 को लिखा जाना बताया गया है जो प्रारंभ से ही शून्य होने से निरस्त योग्य है तथा शेष इबारत भी मनगढंत एवं गलत दर्ज की गई है। रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, उनकी आराजी को अपीलांट द्वारा खरीदी नहीं जा सकती तथा न ही खरीदने का इकरारनामा ही लिखा जा सकता है। जो धारा 42(ख) का सरेआम उल्लंघन है। अपीलान्ट द्वारा गलत आधार पर विवादित इकरारनामा प्रस्तुत किया जिसकी कोई अहमियत नहीं होने से विवादित इकरारनामा को आधार नहीं बनाया जा सकता है। विवादित इकरारनामा शून्य होने से उसमें वर्णित इबारत भी अपने आप में शून्यकरणीय है। विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि है जिसमं रेस्पोडेन्ट 1 लगा. 3 ने सरसो की फसल काश्त की थी जिस पर अपीलान्ट्स द्वारा जबरन अतिक्रमण करने पर उन्हें बेदखल करने की कार्यवाही दिनांक 10.11.2025 को की गई है, जो सही की गई है। विवादित आराजी ख0नं0 2584 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2585 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 2586 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 2591 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 2594 रकबा 0.31 है0 कुल किता 5 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम खिरनी (ए) तहसील मलारना डूंगर रेस्पोडेन्ट्स की पुश्तैनी आराजी है जो पूर्व में रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगा. 3 के पिता रामकुंवार पुत्र श्रीनारायण गरोडा के नाम थी उसके पहले श्रीनारायण पुत्र भूरा गरोडा के नाम दर्ज थी [illegible] ख0नं0 1878 से बने है। अन्त में वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा. 3 द्वारा [illegible] का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:27 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार मलारना डूंगर के मु0नं0 1/25 निर्णय दिनांक 03.11.25 (प्रा0पत्र 183(बी) आर0टी0 एक्ट) के विरूद्ध एक अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट न्यायालय हाजा में पेश की है तथा उक्त अपील में यह अंकित किया है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजीयात जरिये इकरारनामा दिनांक 15.06.95 को रेस्पोडेन्ट्स से खरीद किया था, किन्तु अपीलान्ट पत्रावली पर उक्त दस्तावेजात उपलब्ध नहीं करवाये गये। अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित ख0नं0 2584 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2585 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 2586 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 2591 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 2594 रकबा 0.31 है0 कुल किता 5 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम खिरनी (ए) तहसील मलारना डूंगर जमाबन्दी खाता सं0 265 के खातेदार नाथूलाल, लड्डूलाल, सुरेशचन्द पि0 रामकुंवार गरोडा (अनु0जाति) के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजी ख0नम्बरान पर अपीलान्ट्स सलीम, वहीद, अख्तर, कमर, करामत, रहमत, फारूख, फिरोज पि0 छोटे खॉ के काबिज पाये जाने पर तहसीलदार मलारना डूंगर ने निर्णय दिनांक 03.11.25 के द्वारा उक्त अपीलान्ट्स को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर खातेदार नाथूलाल, लड्डूलाल, सुरेशचन्द पि0 रामकुंवार गरोडा को कब्जा संभलाने के आदेश पारित किये गये थे जिसकी पालना में दिनांक 10.11.2025 को सलीम, वहीद, अख्तर, कमर, करामत, रहमत, फारूख, फिरोज पि0 छोटे खॉ को आराजी ख0नं0 2584 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2585 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 2586 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 2591 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 2594 रकबा 0.31 है0 कुल किता 5 रकबा 0.72 है0 पर मौके पर से बेदखल किया जाकर खातेदार नाथूलाल, लड्डूलाल, सुरेशचन्द पि0 रामकुंवार गरोडा को उक्त आराजी का कब्जा मय फसल (सरसों) सहित मौके पर दिनांक 10.11.25 को ही सम्भलाया जा चुका है। रेस्पोडेन्ट्स उक्त आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार है तथा वर्तमान में काबिज है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अनु0जाति का जाति प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट चलने योग्य नहीं पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:27 IST
Reason: SelfAttested